कच्छ, अहमदाबाद और जामनगर संसदीय क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार थी:—

	कच्छ		अहमदाबाद		जामनगर	
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक
1993-94	2	24	29	4864	8	824
1994-95	1	23	14	8513	8	1225
1995-96	2	33	24	3575	6	767

(ख) से (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों के बारे में बताया गया है। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा उनका अनुपालन किया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने वर्ष 1995 में गुजरात कारखाना नियम, 1963 में संशोधन किया है। इन नियमों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी पर्याप्त सुरक्षा उपायों और कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में व्यवस्था की गई है। सुरक्षा संबंधी जागरूकता सृजित करने हेतु औद्योगिक कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। सभी घातक दुर्घटनाओं के बारे में गुजरात राज्य सरकार के कारखाना निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पड़ताल की जाती है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बारे में सुझाव दिया जाता है। किसी आपातिक स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और ऑन-साइट आपात योजना रिहर्सल आयोजित किए जाते है।

गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिक

2364. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात में जिला-वार कितने औद्योगिक श्रमिक हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, राज्य में जिला-वार कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों के खोलने/विस्तार करने का प्रताव है; और

(घ) क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत, राज्य के गैर-सरकारी औद्योगिक घरानों के कर्मचारियों को भी लाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) क०रा०बी० लाभों के लिए पात्र कर्मचारियों की जिला-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) जी, हां।

(ग) क०रा०बी० निगम क०रा०पी० अस्पतालों/औषधालयों के निर्माण के लिये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता है। क०रा०बी० अस्पतालों को मानकों के अनुसार अपेक्षित होने पर स्थापित किया जाता है जो कि प्रति हजार बीमित व्यक्तियों के लिये 4 बिस्तर है। गुजरात राज्य में फिलहाल 10 क०रा०बी० अस्पताल कार्यरत हैं। निगम जामनगर में एक और अस्पताल निर्माण करवा रहा है। सिद्धान्त रूप से निगम नरोदा स्थित 225 बिस्तरों वाले वक्ष अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले साधारण अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने के लिए भी राजी हो गया है। गुजरात में पहले ही 121 औषधालय कार्यरत हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही नए क०रा०बी० औषधालय खोले जाएंगे।

(घ) क०रा०बी० अधिनियम की धारा 2 (9) के अधीन यथा परिभाषित निजी औद्योगिक घरानों के कर्मचारियों को पहले ही क०रा०बी० योजना के अधीन शामिल किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	शामिल कर्मचारियों की संख्या
1.	अहमदाबाद	1,96,550
2.	भड़ौच	59,550
3.	बड़ौदा	57,000
4.	भाव नगर	9,600
5.	कैरा	11,100
6.	मेहसाना	29,200
7.	सुरेन्द्र नगर	9,300

क्रम सं॰	जिले का नाम	शामिल कर्मचारियों की संख्या
8.	पंचमहल	28,450
9.	साबरकांठा	250
10.	जूनागढ़	17,300
11.	राजकोट	18,350
12.	बलसाड	49,500
13.	सूरत	52,300
	कुल	5,48,500

Increase in the wage ceiling under ESI Scheme

2365. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the reply to the Starred Question 26 given on 24th February, 1997 and state:

(a) whether the workers' unions or experts have also been consulted before taking such a decision;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the number of additional workers likely to be included in the scheme vis-a-vis the existing number, State/Union Territory wise?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The proposal for enhancement of the wage ceiling for coverage under the ESI Scheme from Rs. 3000/- to 6500/- per month was considered and recommended to the Central Government by the ESI Corporation which is a tripartite body comprising *inter-alia* experts from medical profession and 10 representatives of the Central Trade Union Organisations.

(c) A statement is annexed.

Statement

Details of existing and expected additional coverage on account of enhancement of wage limit under the ESI Scheme, State-wise.

S. No.	Name of State/U.T.	Existing coverage	Expected additional coverage
1.	Andhra Pradesh	3,57,500	50,000
2.	Assam	40,850	3,000
3.	Bihar	1,28,500	15,000
4.	Chandigarh	24,150	2,000
5.	Delhi	3,18,900	45,000
6.	Goa	36,050	5,000
7.	Gujarat	5,48,500	80,000
8.	Haryana	2,86,000	36,000
9.	H.P.	29,450	2,000
10.	J&K	11,900	1,000
11.	Karnataka	5,01,850	75,000
12.	Kerala & Mahe	3,86,400	50,000
13.	M.P.	1,77,400	25,000
14.	Maharashtra	10,74,700	2,00,000
15.	Orissa	1,18,200	15,000
16.	Pondicherry	18,900	1,000